



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-15/2020- 289

दिनांक : 26.03.2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी/
गुमला वन प्रमंडल, गुमला/सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा/लोहरदगा वन
प्रमंडल, लोहरदगा/मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/गढ़वा दक्षिणी वन
प्रमंडल, गढ़वा/दुमका वन प्रमंडल, दुमका/देवघर वन प्रमंडल, देवघर/
जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा/सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा/कोल्हान
वन प्रमंडल, चाईबासा/सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/जमशेदपुर वन
प्रमंडल, जमशेदपुर/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा उत्तरी वन
प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल,
हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग/बोकारो वन प्रमंडल,
बोकारो/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/
गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/वन्यप्राणी वन प्रमंडल, राँची/उप वन
संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में
कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चरल ऑपरेशन" योजना (अन्य व्यय) के
अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा
वृक्षारोपण कार्य, बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन
कार्य हेतु **रु0 1230.953 (बारह करोड़ तीस लाख पन्चानबे हजार तीन
सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-33/2020(खण्ड)-41/स्वी0 व0प0
दिनांक 26.03.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0
बजट-33/2020(खण्ड)- 52/आ0 व0प0 दिनांक 26.03.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य
शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण,
विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष
2020-21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 1230.953 (बारह करोड़
तीस लाख पन्चानबे हजार तीन सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में
किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101400103	945.672
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101400323	285.281
कुल :-		1230.953

Handwritten signature

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक-1(क) एवं 1(ख)** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक-2(क) एवं 2(ख)** पर, स्थल विवरणी **अनुलग्नक-3(क) एवं 3(ख)** पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101400103 एवं 19S240601101400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरू करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल-मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे० लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा।

5. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूंटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

7. इस योजना में प्राकृतिक रूप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वन प्रमंडलों को Digital Map भी उपलब्ध कराए गये हैं, जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, 2017 के अनुसार प्रमंडल के वनों का Density wise वर्गीकरण है। कार्य प्रारम्भ के पूर्व सभी संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित स्थल उपर वर्णित श्रेणी में आते हैं। इन स्थलों के घनत्व में आए बदलाव को आनेवाले समय में भारतीय वन सर्वेक्षण के Digital Map से देखकर योजना की सफलता/उपयोगिता भी आंकी जा सकेगी।

8. वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची द्वारा विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों का सघनता (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्यों के प्रभाव का तुलनात्मक शोध अध्ययन किया गया है, जिसकी Soft copy इस पत्र के साथ संलग्न है। बाँस वनों में कंजेशन हटाने एवं वन वर्द्धन कार्य शोध में वर्णित Model-III के अनुसार ही किया

जायेगा। इस मॉडल पर कार्य करते समय यदि कोई कठिनाई आए तो मुख्य वन संरक्षक, शोध से संपर्क कर मार्ग निदेश माँगा जा सकता है।

9. Silviculture operation की योजना के अंतर्गत बाँस बखार की सफाई के लिए व्यय हेतु एक हे० में 200 बखार की संख्या मानक मानी गई है एवं उसी अनुरूप राशि का व्यय किये जायेंगे।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

12. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

14. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्ग दर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

15. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :-

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्पटाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

16. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :-

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020-21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैटर्न पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

17. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNAREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार कराये।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Invoice Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका- VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

18. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

19. (i) COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(ii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरिडीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(iii) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(iv) कंडिका-19 (II) की monitoring भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी के अधीन रहेंगे।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

22. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

23. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।



24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

25. वैसी राशि जिनके व्यय की संभावना इस वित्तीय वर्ष में क्षीण है, उनकी निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

26. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

27. जिन वन प्रमंडलों से स्थल अप्राप्त है तथा वैसे वन प्रमंडल जिनसे प्राप्त स्थल चयन समिति से अनुमोदित नहीं है, उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी स्थल चयन समिति से अनुमोदित स्थल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे। जिन वन प्रमंडलों के स्थलों में प्लॉट संख्या एवं जी0पी0एस0 कॉ-ऑर्डिनेट्स अप्राप्त है, उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी उपरोक्त स्थलों का प्लॉट संख्या एवं जी0पी0एस0 कॉ-ऑर्डिनेट्स उपलब्ध कराने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-15/2020-289 दिनांक- 26.03.2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ पलामू/ दुमका/ जमशेदपुर/ हजारीबाग/बोकारो/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र परियोजना, पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ दुमका/ देवघर/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ हजारीबाग/ चतरा/ बोकारो/ गिरिडीह/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-15/2020-289 दिनांक- 26.03.2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ खूँटी/ गुमला/ सिमडेगा/लोहरदगा/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ दुमका/ देवघर/ जामताड़ा/ चाईबासा/ सरायकेला/ जमशेदपुर/ चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग/ बोकारो/ धनबाद/ गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)					
क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	2020-21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			38454.00	13243.14	51697.14
(क)	राँची रीजन				
1	राँची वन प्रमंडल, राँची	100	38.454	13.243	51.697
2	खूँटी वन प्रमण्डल	150	57.681	19.865	77.546
3	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	150	57.681	19.865	77.546
4	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	100	38.454	13.243	51.697
	योग:-	500	192.270	66.216	258.486
(ख)	पलामू रीजन				
5	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	100	38.454	13.243	51.697
6	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	100	38.454	13.243	51.697
	योग:-	200	76.908	26.486	103.394
(ग)	दुमका रीजन				
7	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	100	38.454	13.243	51.697
8	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	200	76.908	26.486	103.394
9	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	50	19.227	6.622	25.849
	योग:-	350	134.589	46.351	180.940
(घ)	जमशेदपुर रीजन				
10	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	90	34.609	11.917	46.526
11	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	50	19.227	6.622	25.849
12	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	50	19.227	6.622	25.849
13	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	100	38.454	13.243	51.697
	योग:-	290	111.517	38.404	149.921
(ङ.)	हजारीबाग रीजन				
14	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	200	76.908	26.486	103.394
15	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	100	38.454	13.243	51.697
16	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	50	19.227	6.622	25.849
17	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	50	19.227	6.622	25.849
18	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	50	19.227	6.622	25.849
	योग:-	450	173.043	59.595	232.638
(च)	बोकारो रीजन				
19	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	100	38.454	13.243	51.697
20	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	100	38.454	13.243	51.697
21	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	100	38.454	13.243	51.697
	योग:-	300	115.362	39.729	155.091
	कुल योग:-	2090	803.689	276.781	1080.470

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्य का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)					
क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	2020-21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			28396.80	1700.00	30096.80
1	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	50	14.198	0.850	15.048
2	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	50	14.198	0.850	15.048
3	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	50	14.198	0.850	15.048
4	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	100	28.397	1.700	30.097
5	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	100	28.397	1.700	30.097
6	वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची	50	14.198	0.850	15.048
7	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	100	28.397	1.700	30.097
कुल योग :-		500	141.983	8.500	150.483

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झाखण्ड, राँची

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) :

295.80



कार्य दर प्रति हे०

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 295.80						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	887.40	0.00	887.40	
2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग, along with debris removal आदि (All live stumps should be touched)	हे०	30	8874.00	0.00	8874.00	इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। उपरोक्त कार्यों को करने से पूर्व एवं कार्य संपादित करने के पश्चात् संपूर्ण स्थल की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी अवश्य कराई जाय।
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रेंच घेरान अथवा पत्थर घेरान किया जायेगा (i) ट्रेंच घेरान— ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी०, गहराई 1.22 मी०, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान— ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी०, ऊँचाई 1.00 मी० (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हे० औसतन 6 चैन	12	3549.60	11782.74	15332.34	प्रति हे० ट्रेंच घेरान 6 चैन का प्रावधान है किन्तु वास्तविक स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा। उपर्युक्त ट्रेंच बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों का वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि Live Hedge/Fence तैयार हो सके।
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू० मी० अधिकतम 200 पीट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हे०	20	5916.00	0.00	5916.00	औसतन 200 पौधे प्रति हे० रोपण के लिए। वन्य जीव क्षेत्रों में पुर्णतः वन्य जीवों के पर्यावास के विकास के अनुकूल प्रजाति के।
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य – कंटूर ट्रेंच – 50, कंटूर साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी कम से कम 2 मीटर ढलान के कोण के अनुसार हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोडनी कर रखा जाना।		40	11832.00	500.00	12332.00	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रेंच के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हे०	6	1774.80	0.00	1774.80	नोट देखें
7	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि	हे०	15	4437.00		4437.00	नोट देखें
8	स्थायी पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।		2	591.60	960.40	1552.00	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी
9	वनों की सुरक्षा		2.00	591.60	0.00	591.60	
	योग—		130.00	38454.00	13243.14	51697.14	

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(B)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 340 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए						
1	Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling स्थाई पौधशाला (न्यूनतम 40 प्रतिशत)	220	2	680.00	640.00	1320.00	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		4.40	1496.00	0.00	1496.00	
3	दो कोड़नी निकौनी	हे०	5	1700.00	0.00	1700.00	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे०	0	0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य		4	1360.00	0.00	1360.00	
6	पौधों की सुरक्षा (25 हे० तक के लिए पशुरक्षक)		7.30	2482.00	0.00	2482.00	ट्रेन्च घेरान की मरम्मत
	योग-		22.70	7718.00	1140.00	8858.00	
(C)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 391 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021-22 को आधार मानते हुए						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	2854.30	0.00	2854.30	घेरान, कंटूर ट्रेंच की मरम्मत, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी/ कॉपिस/ कटबैक/ सिंगलिंग
	योग-		7.30	2854.30	0.00	2854.30	
(D)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 450 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022-23 को आधार मानते हुए						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	3285.00	0.00	3285.00	घेरान, कंटूर ट्रेंच की मरम्मत, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी/ कॉपिस/ कटबैक/ सिंगलिंग
	योग-		7.30	3285.00	0.00	3285.00	
	सकल योग -		167.30	52311.30	14383.14	66694.44	

नोट:-

- प्रत्येक वनरोपण स्थल पर स्थल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति पश्चात् कार्य संपादित किए जायेंगे।
- इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।


 26/3/2024
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची


“सिल्वीकल्चर ऑपरेशन योजना” के अंतर्गत बाँस बखारों की सफाई हेतु वन-वर्द्धन के कार्यों की दर तालिका

मजदूरी दर – 295.80 रु0

प्रति 200 बाँस बखार (मानक संख्या प्रति हे0)

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 295.80					
1	सर्वे, सीमांकन एवं बखार का नंबरिंग	3	887.40	0.00	887.40	
2	बाँस बखारों (Clumps) की सफाई एवं Silviculturally available बाँसों का विदोहन कार्य (200 बखार प्रति हे0 की मानक संख्या से)	40	11832.00	200.00	12032.00	बड़े बाँस बखारों के सुगम विकास हेतु आवश्यकतानुसार बखार को दो या अधिक भाग में विभक्त करना।
3	वनों में आंतरिक अग्नि रेखा की सफाई, 5 मीटर चौड़ा (प्रत्येक 250 मीटर पर) एवं स्थल से सफाई किए गए बाँसों को हटाना	10	2958.00	0.00	2958.00	
4	बखारों के चारों ओर 1.5 फीट गोलाई में निकोनी एवं मिट्टी को हल्का करना तथा खाद डालना	20	5916.00	1500.00	7416.00	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
5	राइजोम प्रिजरवेशन हेतु बखारों में कोड़नी/निकोनी क्षेत्र के बाहर 1 फीट गोलाई में मिट्टी लेकर बखारों पर चढ़ाना	20	5916.00	0.00	5916.00	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
6	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	3	887.40	0.00	887.40	सफाई के दौरान निकले राइजोम को उन खाली स्थलों पर लगाना, जहाँ बाँस बखारों की संख्या 200 प्रति हे0 से कम है।
	कुल	96	28396.80	1700.00	30096.80	
B	वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 340 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए					
1	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	12	4080.00	0.00	4080.00	
	कुल	12	4080.00	0.00	4080.00	
	सकल योग –	108	32476.80	1700.00	34176.80	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं मृ-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना/ थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० मे)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	राँची वन प्रमंडल, राँची							100
							योग:-	100
2	खूंटी वन प्रमंडल							150
							योग:-	150
3	गुमला वन प्रमंडल, गुमला							150
							योग:-	150
4	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा							100
							योग:-	100
5	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	पाटन	पाटन	कनौदी	पाटन-298	N24°08'10" E84°20'39"	1, 29, 32, 61, 77, 92, 100, 123, 146, 157	50
		मनातू	तरहसी	सिजो	मनातू-503	N24°16'45" E84°50'31"	105, 1/283, 1/282, 104, 1/289, 1/290	50
							योग:-	100
6	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	भंडरिया	रंका	करचाली	रंका-146	N23°44'23.07" E83°45'12.99"	640, 647, 648, 649, 650, 651, 652	50
		भंडरिया	रंका	मदगड़ी	रंका-145	N23°44'52.92" E83°44'43.69"	1029, 1030, 1031, 1034, 1036 to 1041	50
							योग:-	100
7	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	हिजला पूर्वी प्रक्षेत्र, दुमका	रानेश्वर	बलीराम	मसानजोर-36	N24°05'21.9" E87°21'56.9"	2, 239, 280, 427, 644, 802	30
			रानेश्वर	बड़ाबथान	कुमीरदाहा-03	N24°06'4.07" E87°24'7.61"	50, 682, 786	20
			शिकारीपाड़ा	खड़ीजोल	बाँसपहाड़ी-03	N24°09'06" E87°31'55"	235, 257, 526, 492, 392	50
							योग:-	100

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० मे०)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
8	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर	देवघर	जेठूटांड	देवघर-21	N24°31'34" E086°45'40"	3P, 60P, 61, 62, 63, 116, 126, 120, 144, 145, 148P, 149, 150, 165P, 172, 171, 170, 169, 168, 200, 201, 207P, 166, 74, 122, 151, 3, 119, 120, 115	60
		भू-संरक्षण प्रक्षेत्र, देवघर	देवघर	अलखजारा	देवघर-112	N24°31'211" E086°34'929"	614, 800, 619, 622	20
			देवीपुर	टटकियो	मधुपुर-12	N24°24'16" E086°31'16"	777P, 778P, 779P, 785P, 7P, 230P, 203P	15
			देवीपुर	भलुआचक (भेलपहाड़ी)	मधुपुर-46	N24°23'05" E086°33'06"	9P, 112P, 213P, 231P	25
			मधुपुर	ककली	मधुपुर-80	N24°21'00" E086°31'56"	3, 149, 118, 33P, 117, 115P, 145P, 148P, 21P	20
		भू-संरक्षण प्रक्षेत्र, मधुपुर	मधुपुर	नवादा	मधुपुर-79	N24°20'33" E086°31'24"	22P, 183, 184, 186P, 26P, 86P, 89P, 98, 34, 51P, 47P, 48P, 49P, 50P	20
			मधुपुर	पुतरजोर	मधुपुर-18	N24°23'32" E086°28'27"	1P, 241P, 59P, 175P	40
							योग:-	200
9	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा							50
							योग:-	50
10	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	ससंगदा प्रक्षेत्र, किरीबुरु		थोलकोबाद-4 3		N22°05'27" E85°12'41"		50
		कोयना प्रक्षेत्र, मनोहरपुर		रबंगदा पी०एफ०-11				40
							योग:-	90
11	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा							50
							योग:-	50

Handwritten signature

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
12	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला							50
योग:-								
13	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	चाकुलिया वनरोपण प्रक्षेत्र	चाकुलिया	दक्षिणाशोल	घाटशिला-529	N22°24'14.1336"	112, 113, 210, 1, 3, 839	50
			चाकुलिया	महेशपुर	घाटशिला-522	E86°47'31.00344"	1, 113, 49, 50	
		मुसाबनी वन प्रक्षेत्र	गुड़ाबन्दा	चुआशोल	घाटशिला-1050	N22°19'361"	1, 2, 56, 57, 58, 151, 259, 311, 312, 313, 314, & PF	50
			गुड़ाबन्दा	हत्यापट्टा	घाटशिला-1054	E86°32'34.5"	173, 201, 345, 510, 1008, 1010, 1018 & PF	
योग:-								
14	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	सिमरिया	सिमरिया	गोठाई	सिमरिया-102	N24°01'59"	14, 15, 19, 21, 22	50
		टण्डवा	टण्डवा	धनगड्डी	टण्डवा-07	N23°55'19"	71, 72, 73, 74, 75	50
		टण्डवा	टण्डवा	सिदपा	टण्डवा-15	N23°58'28"	523, 524, 525, 526	50
		टण्डवा	टण्डवा	पोकला उर्फ कसियाडीह	टण्डवा-34	N23°53'42"	826, 827, 828, 829, 830, 833, 855, 893	50
योग:-								
15	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	राजपुर प्रक्षेत्र	कान्हाचट्टी	जोरी	चतरा-108	N24°16'05.00"	2, 4	50
		प्रतापपुर प्रक्षेत्र	प्रतापपुर	अदौरिया	प्रतापपुर-114	N24°17'00.9"	2, 3, 4, 123, 124	50
योग:-								
100								
16	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा							50
योग:-								
50								
17	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	गोमियां	गोमियां	अलौंदी	गोमियां-70	N23°49.994'	3, 7, 114	50
योग:-								
50								
18	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	हजारीबाग वनरोपण प्रक्षेत्र	चौपारण	करमा	चौपारण-51	N24°24'11.77"	11	50
योग:-								
50								


18

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
19	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	बेरमो	नावाडीह	केसरगड्डा	नावाडीह-33	N23°55'34" E85°56'13"	1	40
		बेरमो	नावाडीह	केसरगड्डा	नावाडीह-33	N23°55'45" E85°56'07"	63	60
योग:-								
20	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	डुमरी वन प्रक्षेत्र	डुमरी	भरखर	डुमरी-136	N23°58'31.00" E85°56'57.04"	34, 38, 56, 83, 85, 121, 142, 148, 152, 167, 250, 249, 282	60
		गावां वन प्रक्षेत्र	गावां	असुरहड्डी	गावां-346	N24°7'14.78" E85°9'48.971"	2, 7, 54, 225, 230, 236, 240, 242, 253	40
योग:-								
21	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	धनवार	सुरंगी	धनवार-04	N24°28'08.26" E85°52'27.00"	2, 65, 81, 223, 6/29	50
		डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	धनवार	अडवरीया	धनवार-11	N24°30'54.68" E85°56'26.86"	1, 3, 4, 22, 43, 48, 80, 84, 89, 160	50
योग:-								
सकल योग:-								2090

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
7 झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत बॉस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन-वर्द्धन कार्य का स्थल विवरणी

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)
i	ii	iii	iv	vi	vii	viii	ix	x
1	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा						योग:-	50
2	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	दुमका दामिन प्रक्षेत्र, काठीकुण्ड	काठीकुण्ड	हिल ब्लॉक (आमतल्ला के ऊपर)	काठीकुण्ड-32	N24°23'19.53" E87°27'55.37"		50
योग:-								
3	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर	देवघर	त्रिकुट पहाड़				30
		भू-संरक्षण प्रक्षेत्र, मधुपुर	सारठ	बीरमाटी				20
योग:-								
4	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	राजपुर प्रक्षेत्र	कान्हाचट्टी	गुवे	हंटरगंज-343	N23°21'02.06" E86°55'44.02"	6, 248, 264	50
		कुन्दा प्रक्षेत्र	कुन्दा	बंठा	प्रतापपुर-137	N23°13'63.7" E86°35'19.0"	232, 240	50
योग:-								
5	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	तोपचांची	तोपचांची	पहाड़पुर	तोपचांची-27	N23°53'20.73" E86°10'2.72"	473, 1099, 1100, 1101, 1123	50
		धनबाद	गोविन्दपुर	फफुआडीह, गहिरा	गोविन्दपुर-221, 218	N23°47'51.91" E86°36'20.21" N23°48'11.20" E86°35'50.55"	661, 686, 749, 785, 824, 845, 857, 513, 514, 759	50
योग:-								
6	वन्य प्राणी प्रमंडल, राँची							50
योग:-								
7	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर							100
योग:-								
सकल योग:-								500


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चाहू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-15/20/289

दिनांक - 26-Mar-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94511	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	3,845,400.00 रुपये अड़तीस लाख पैतालीस हजार चार सौ
2	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94514	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI	5,768,100.00 रुपये सत्तावन लाख अड़सठ हजार एक सौ

9,613,500.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये छयानवे लाख तेरह हजार पाँच सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94520	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	5,768,100.00 रुपये सत्तावन लाख अडसठ हजार एक सौ
4	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94528	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,419,800.00 रुपये चौदह लाख उन्नीस हजार आठ सौ
5	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94531	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER	3,845,400.00 रुपये अडतीस लाख पैतालीस हजार चार सौ

योग:

11,033,300.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड छः लाख छयालीस हजार आठ सौ

20,646,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94534	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	3,845,400.00 रुपये अडतीस लाख पैतालीस हजार चार सौ
7	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94537	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	3,845,400.00 रुपये अडतीस लाख पैतालीस हजार चार सौ
8	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94542	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	5,265,200.00 रुपये बावन लाख पैसठ हजार दो सौ

योग:

12,956,000.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड छत्तीस लाख दो हजार आठ सौ

33,602,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94546	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	9,110,600.00 रुपये इनकानवे लाख दस हजार छः सौ
10	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94552	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA	1,922,700.00 रुपये उन्नीस लाख बाइस हजार सात सौ
11	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94556	SGHFOR011 CHANDRAMAOULI PRASAD SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIV.JFS	3,460,900.00 रुपये चौतीस लाख साइठ हजार नौ सौ

14,494,200.00

योग:

48,097,000.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड अस्सी लाख सित्तानवे हजार

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94563	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	1,922,700.00 रुपये उन्नीस लाख बाइस हजार सात सौ
13	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94569	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	1,922,700.00 रुपये उन्नीस लाख बाइस हजार सात सौ
14	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94572	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	3,845,400.00 रुपये अड़तीस लाख पैतालीस हजार चार सौ

7,690,800.00

योग:

55,787,800.00

क्रमिक योग:

रुपये पाँच करोड सत्तावन लाख सित्यासी हजार आठ सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94576	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	7,690,800.00 रुपये छहत्तर लाख नब्बे हजार आठ सौ
16	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94579	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	6,685,100.00 रुपये छह लाख पचासी हजार एक सौ
17	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94581	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	1,922,700.00 रुपये उन्नीस लाख बाइस हजार सात सौ

योग:

16,298,600.00

क्रमिक योग:

रुपये सात करोड बीस लाख छियासी हजार चार सौ

72,086,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
18	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94582	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	1,922,700.00 रुपये उन्नीस लाख बाइस हजार सात सौ
19	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94583	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	1,922,700.00 रुपये उन्नीस लाख बाइस हजार सात सौ
20	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94586	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO	3,845,400.00 रुपये अडतीस लाख पैतालीस हजार चार सौ

योग:

7,690,800.00

क्रमिक योग:

रुपये सात करोड सित्तानवे लाख सित्योत्तर हजार दो सौ

79,777,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
21	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94589	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,839,700.00 रुपये अठाइस लाख उनचालीस हजार सात सौ
22	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94592	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	3,845,400.00 रुपये अडतीस लाख पैतालीस हजार चार सौ
23	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94593	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	3,845,400.00 रुपये अडतीस लाख पैतालीस हजार चार सौ

योग:

10,530,500.00

क्रमिक योग:

रुपये नौ करोड तीन लाख सात हजार सात सौ

90,307,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94596	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	1,419,800.00 रुपये चौदह लाख उन्नीस हजार आठ सौ
25	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94599	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	2,839,700.00 रुपये अठाइस लाख उनचासी हजार सात सौ
26	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94516	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ

योग:

5,583,800.00

क्रमिक योग:

रुपये नौ करोड अठावन लाख इनकानवे हजार पाँच सौ

95,891,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
27	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94519	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI	1,986,500.00 रुपये उन्नीस लाख छियासी हजार पॉच सौ
28	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94521	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	1,986,500.00 रुपये उन्नीस लाख छियासी हजार पॉच सौ
29	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94523	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	85,000.00 रुपये पिचयासी हजार

4,058,000.00

योग:

99,949,500.00

क्रमिक योग:

रुपये नौ करोड निम्नानवे लाख उनचास हजार पॉच सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
30	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94526	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
31	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94529	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
32	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94538	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ

3,972,900.00

योग:

103,922,400.00

क्रमिक योग:

रुपये दस करोड उनचालीस लाख बाइस हजार चार सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF,DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
33	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94541	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	1,409,300.00 रुपये चौदह लाख नौ हजार तीन सौ
34	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94543	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	2,733,600.00 रुपये सत्ताइस लाख तैतीस हजार छः सौ
35	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94545	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA	662,200.00 रुपये छः लाख बासठ हजार दो सौ

योग:

4,805,100.00

क्रमिक योग:

रुपये दस करोड सित्यासी लाख सत्ताइस हजार पोंच सौ

108,727,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
36	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94547	SGHFOR011 CHANDRAMAOULI PRASAD SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIV.JFS	1,191,700.00 रुपये ग्यारह लाख इनकानवे हजार सात सौ
37	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94551	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	662,200.00 रुपये छः लाख बासठ हजार दो सौ
38	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94554	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	662,200.00 रुपये छः लाख बासठ हजार दो सौ

योग:

2,516,100.00

क्रमिक योग:

रुपये ग्यारह करोड बारह लाख तीरयालीस हजार छः सौ

111,243,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
39	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94555	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
40	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94559	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	2,648,600.00 रुपये छब्बीस लाख अडतालीस हजार छः सौ
41	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94562	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	1,494,300.00 रुपये चौदह लाख चौरानवे हजार तीन सौ

5,467,200.00

योग:




क्रमिक योग:

रुपये ग्यारह करोड सइसठ लाख दस हजार आठ सौ

116,710,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
42	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94565	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	662,200.00 रुपये छः लाख बासठ हजार दो सौ 
43	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94568	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	662,200.00 रुपये छः लाख बासठ हजार दो सौ 
44	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94570	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	662,200.00 रुपये छः लाख बासठ हजार दो सौ 

योग:

1,986,600.00

क्रमिक योग:

रुपये ग्यारह करोड छियासी लाख सित्तानवे हजार चार सौ

118,697,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
45	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94571	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
46	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94573	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	170,000.00 रुपये एक लाख सत्तर हजार
47	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94574	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ

योग:

2,818,600.00

क्रमिक योग:

रुपये बारह करोड पंद्रह लाख सोलह हजार

121,516,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
48	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94575	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
49	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94577	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	85,000.00 रुपये पिचयासी हजार
50	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	94580	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	170,000.00 रुपये एक लाख सत्तर हजार

योग:

1,579,300.00

क्रमिक योग:

रुपये बारह करोड तीस लाख पिनचानवे हजार तीन सौ

123,095,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND